



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति-भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

CIN No-U32201UP1999SGC024928



पत्र संख्या-I/7613/2025/Exec Mgmt Sec 02A

दिनांक 29-03-2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव (89124) (ए-605) (सैंप आईडी-11000630), मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता (मा०सं० एवं प्रशा०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2025 के सन्दर्भ में कारपोरेशन की अधिसूचना संख्या-07-विनियम/काविनी-29/पाकालि/2015-73-विनियम/15 दिनांक 04.02.2016 द्वारा निर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड (कार्मिकों की सेवानिवृत्ति) विनियमावली-2015 में उल्लिखित प्राविधानानुसार उनके स्वास्थ्य एवं पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत उन्हें दिनांक 31.03.2025 (अपरान्ह) से मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के अपर निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के अपर निजी सचिव।
5. निदेशक (का० एवं प्रशा०), प०वि०वि०नि०लि०, ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को उनके पत्र संख्या-1262/प०वि०वि०नि०लि०/मेरठ/प्रशा०/पी०एफ०, दिनांक 11.03.2025 के संदर्भ में।
6. अपर सचिव (द्वितीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. संयुक्त सचिव (अ०प्र०-01), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब) कमरा नं-407, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव (89124), मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता (मा०सं० एवं प्रशा०), कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को इस अभ्युक्ति के साथ कि उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रश्नगत स्वीकृति में वाणिज्यिक सेवायोजन की अनुमति अन्तर्निहित नहीं है।
14. वैयक्तिक पत्रावली।

आज्ञा से,

(कमलेश कुमार)
अनुसचिव (02अ)